आदिवासी स्टूडेंट को कपड़े खोलकर पीटा, जनजाति आयोग सख्त: इंदौर कलेक्टर-पुलिस कमिश्नर को थमाया नोटिस; कहा-3 दिन में बताओ क्या कार्रवाई की

इंदौर एक वर्ष पहले

फीडबैक दें

इंदौर में मकान मालिक द्वारा अपने आदिवासी किराएदार को कपड़े खोलकर पीटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने तीन दिन के भीतर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। आयोग ने **दैनिक भास्कर** में प्रकाशित खबर 'जिसके गुप्तांग में पेट्रोल डालकर पीटा वो बेकसूर' को लेकर संज्ञान लिया और नोटिस में भी इसका उल्लेख किया।

कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को मिले नोटिस में लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक प्रेस क्लिपिंग मिली है। जिसके बाद NCST ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में खुलासा किया था कि जिस आरोप में आदिवासी छात्र को पीटा था वो रुपए तो आरोपी के बेटे ने ही मोबाइल गेम में हारे थे। घटना के बाद से ही पीड़ित छात्र और उसकी बहनों ने घर खाली कर दिया था और वे आलीराजपुर स्थित अपने गांव चले गए थे।

तीन दिन में मांगा जवाब

NCST ने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से तीन दिन में मामले की पूरी डिटेल मांगी है। भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है।

फीडबैक दें

यह था मामला

मामला 9 जुलाई को तेजाजी नगर का है, जहां मकान मालिक और उसके तीन साथियों ने मिलकर किराएदार छात्र को जमकर पीटा था और उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी डाल दिया था। उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। मकान मालिक को शक था कि छात्र ने हाल ही में जो लैपटॉप लिया है, वह उसके 9 साल के बेटे के दिए 50 हजार रुपए से खरीदा है। जबकि छात्र को लैपटॉप उसके परिजन ने दिलवाया था। मामले का खुलासा होने पर छात्र की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तेजाजी नगर पुलिस ने इस मामले में बताया था कि 22 वर्षीय पीड़ित छात्र अपनी दो बहनों के साथ नाजिम के मकान में किराए से रहता है। नाजिम के 9 वर्षीय बेटे ने पिछले दिनों ऑनलाइन गेम में 50 हजार रुपए खर्च कर दिए थे। पिता द्वारा पूछने पर उसने घर में किराए से रह रहे छात्र को तीन बार में 50 हजार रुपए देने की बात कही। इसी वजह से मकान मालिक बकरा खरीदने के बहाने छात्र को पड़ोसी एवं रिश्तेदार आदिल की एक्टिवा से नायता मुंडला ले गया। जहां एक अज्ञात व्यक्ति से बकरा खरीदने की बात की। साथ ही बकरा छत पर बंधा होने की बात कहकर मकान की छत पर बने कमरे में ले गए। यहां नाजिम, आदिल, सलमान व उनके एक साथी ने पीड़ित छात्र की जमकर पिटाई कर दी थी।

फीडबैक दें

ये भी पढ़ें...

छात्र के गुप्तांग में पेट्रोल डालने वालों की पिटाई:इंदौर में कोर्ट पेशी के दौरान हंगामा, पहले से मौजूद कुछ लोगों ने जमकर पीटा